राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3292/2025

डॉ. रणजीत महरानिया —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, निदेशक, पशुपालन, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 10.07.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नीमकाथाना, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में दर्शाया जाकर वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, देवीकोट, जैसलमेर में 550 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आश्यकता के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का हवाला देकर किया गया है। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में दर्शाया गया है। जबकि अपीलार्थी आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं है। वह निरन्तर वर्तमान पद पर कार्य कर रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आलौच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी अपने माता–पिता का अकेला पुत्र है और 6 बहने है। अपीलार्थी के माता–पिता बुजुर्ग है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी स्वयं अविवाहित है। अपीलार्थी लोवर बैक पैन की बीमारी के ग्रसित है। जिसका निरन्तर उपचार चल रहा है। चिकित्सक के परामर्श अनुसार अपीलार्थी को बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। अपीलार्थी बीमारी के कारण चलने–फिरने एवं लम्बी दूरी की यात्रा करने में असमर्थ है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को 550 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किया गया है (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के आधार

पर अन्य कार्मिकों के भी स्थानान्तरण किये गये थे, को **pick & choose** की नीति अपनाते हुए दिनांक 09.05.2025 को किये गये स्थानान्तरण को विलोपित किया गया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के आधार पर किया गया था, को विलोपित नहीं किया गया (अनुलग्नक–4)। उनका कथन है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 04.12.2024 के द्वारा प्रतिबंध अवधि में नीमकाथाना से डूंगरपुर एवं आदेश दिनांक 06.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय जयपुर किया गया था। अपीलार्थी ने उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष अलग–अलग अपीले क्रमशः अपील संख्या 3575/2024 एवं अपील संख्या 2854/2024 दायर की। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 06.12.2024 एवं दिनांक 11.09.2024 के द्वारा दोनों आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी (अनुलग्नक–6)। अधिकरण द्वारा पारित स्थगन ओदश वर्तमान में भी प्रभावी है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी की अपील अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के बाद भी आलौच्य आदेश जारी कर दूरस्थ स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित एवं विधि–विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एंव प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नीमकाथाना, सीकर जिले एवं आस–पास रिक्त स्थानों में से किसी एक में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नीमकाथाना, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, देवीकोट, जैसलमेर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में समक्ष स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सीमावर्ती जिलों में पशुधन की समुचित चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करने एवं गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में की गई कार्यवाही में में हम कोई अनियमितता होना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में

किस स्थान पर प्राप्त करें। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.05.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष